# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–1–02/2015 278 /पटना, दिनांक :– 4-2-21

मो0 तनवीर आलम तारिक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्रार्य प्रमंडल, शिवहर के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, शिवहर के पदस्थापन काल में शिवहर से विसाही पथ के मरम्मति कार्य में अनियमितता एवं लीगल नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् त्रुटि निराकरण हेतु संवेदक को पीछे की तिथि में पत्र निर्गत किये जाने एवं कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के आरापों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 770 अनु0 दिनांक 24.02.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. मो0 तारिक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–14.11.2016 के विभागीय समीक्षोरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए इनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प संख्या–3164 दिनांक–07.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा इसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 14 अनु0 दिनांक 20.03.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें मो0 तारिक के विरूद्व गठित आरोपों को अप्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया।

4. जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मतंव्य से निम्न बिन्दुओं पर असहमति स्पष्ट हुआ :–

आरोप संख्या–1 के सबंध में तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा पथ के स्थल निरीक्षण में प्रीमिक्स कार्य में त्रूटि अंकित किये जाने के बाद मापी पुस्त में पूर्व से अंकित मापी को सहायक अभियंता द्वारा भिन्न स्याही से तिथिविहीन हस्ताक्षर के द्वारा काटा गया है। इसके पश्चात् मो0 तारिक द्वारा कराये गये कार्य के लिए आवंटन मांगा गया है। स्पष्ट है कि मो0 तारिक को द्वितीय चालू विपत्र के संबंध में जानकारी थी तथा इसमें उनकी सहभागिता थी। इस आधार पर मो0 तारिक का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या–2 के संबंध में मो0 तारिक के बचाव बयान में उल्लेख किया गया कि स्थल निरीक्षण के समय संवेदक को त्रूटि सुधार हेतु निदेश दिया गया था, ऐसी स्थिति में एक पत्र लिखा जाना पर्याप्त था। समीक्षा में यह पाया गया कि अधीक्षण अभियंता के स्थल निरीक्षण के आलोक में संवेदक को त्रूटिपूर्ण कार्य में सुधार हेतु मो0 तारिक द्वारा दिया गया पत्र साधारण डाक से भेजा गया है, जबकि नियमतः सुधार नहीं किये जाने पर निबंधित डाक या प्रेस विज्ञप्ति से भी संवेदक को इस संबंध में सूचना दी जानी चाहिए थी। मो0 तारिक द्वारा संवेदक को लिखे पत्र में

त्रूटिपूर्ण अंश का चैनेज एवं त्रुटि की प्रकृति का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इस आधार पर मो0 तारिक का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप–3 के संबंध में निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि अधीक्षण अभियंता के स्थल निरीक्षण के आलोक में संवेदक को त्रूटिपूर्ण कार्य में सुधार हेतु मो0 तारिक द्वारा दिया गया पत्र लीगल नोटिस के पश्चात् पीछे की तिथि से निर्गत किया गया है। इस संबंध में पत्र निर्गत पंजी में ओवरराइट किया गया है। इस आधार पर मो0 तारिक का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या–4 के संबंध में मो0 तारिक का कहना है कि पथ के त्रूटिपूर्ण अंश का भुगतान रोका जाना दर्शाता है कि समुचित पर्यवेक्षण के उपरान्त ही यह कार्रवाई की गयी है। उल्लेखनीय है कि मो0 तारिक द्वारा यह सारी कार्रवाई अधीक्षण अभियंता के स्थल निरीक्षण के पश्चात् ही की गयी है। यदि मो0 तारिक द्वारा कार्य का समुचित पर्यवेक्षण किया गया होता तो पूर्व में ही पथ में किये गये त्रूटिपूर्ण कार्य को संज्ञान में लेकर संवेदक को सुधार हेतु निदेशित करते तथा सुधार नहीं किये जाने पर संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते। इस आधार पर मो0 तारिक का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

**5.** तदालोक में मो0 तारिक से विभागीय पत्रांक 869 अनु0 दिनांक–24.04.2020 द्वारा असहमति के उक्त बिंदुओं पर द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

**6.** मो0 तनवीर आलम तारिक, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक शून्य दिनांक 13.05.2020 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में यह उल्लेख किया गया कि आरोप संख्या–1 के संबंध में सहायक अभियंता द्वारा मापी काटने की जानकारी कार्यपालक अभियंता को थी तथा इसमें सहभागिता थी, मात्र एक संभावना पर आधारित है तथा साक्ष्य विहिन है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के मात्र संभावना जताते हुए आरोप का गठन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

अहमति के दूसरे बिन्दु के संदर्भ में श्री तारिक द्वारा उल्लेख किया गया कि पथ में सुधार एक Stretch में ही लगातार करना था, अलग–अलग चेनेज में नहीं। ऐसी स्थिति में त्रुटि एवं चैनेज को इंगित करने की आवश्यकता नहीं थी। संवेदक इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि पथ में उन्हें कहाँ और क्या सुधार कार्य करना है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सुधार हेतु एक पत्र लिखा जाना पर्याप्त था। अतः निबंधित डाक या प्रेस विज्ञप्ति देने से सरकारी राजस्व की हानि ही होती।

असहमति के चौथे बिन्दु के संदर्भ में श्री तारिक द्वारा कहा गया कि समुचित पर्यवेक्षण के फलस्वरूप उक्त त्रुटिपूर्ण अंश के कार्य का संज्ञान लेकर उक्त अंश के भुगतान पर रोक लगाई गयी थी। उल्लेखनीय है कि पथ की कुल लम्बाई 2.296 कि0मी0 में से मात्र 500 मीटर में Premixing कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया था। आंशिक लम्बाई में त्रुटि पाया जाना इंगित करता है कि कार्य के दौरान निरंतर पर्यवेक्षण किया जाता रहा था। पर्यवेक्षण के क्रम में पथांश में त्रुटि परिलक्षित हेने के कारण संवेदक को त्रुटिपूर्ण अंश के सुधार हेतु निर्देश दिया गया था, किन्तु संवेदक द्वारा उक्त अंश के सुधार कराने के बजाय तरह–तरह के विवाद उत्पन्न करके उक्त त्रुटिपूर्ण अंश के भुगतान हेतु दबाव बनाया गया।

संवेदक द्वारा मामला Tribunal में उठाये जाने पर माननीय Tribunal द्वारा भी उनके भुगतान हेतु दावे को खारिज करते हुए त्रुटिपूर्ण अंश के सुधार के उपरान्त ही उक्त अंश के भुगतान का आदेश दिया गया।

7. मो0 तारिक से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की वैधानिक समीक्षा विभागीय पैनल अधिवक्ता से करायी गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि आरोप संख्या–1 के सम्बन्ध में परिलक्षित होता है कि अधीक्षण अभियंता के स्थल निरीक्षण में प्रीमिक्स कार्य में त्रुटि अंकित किये जाने के बाद मापी पुस्तिका के पूर्व से अंकित मापी को सहायक अभियंता द्वारा काटा गया तथा इसके पश्चात कराये गये कार्य के लिए आवंटन माँगा गया, इस तथ्य का खंडन मो0 तारिक द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में नहीं किया गया है। आरोप संख्या–2 के सम्बन्ध में परिलक्षित होता है कि दिनांक 31.05.2012 को अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सीतामढ़ी द्वारा पथ के स्थल निरीक्षण, जिसमें त्रुटिपूर्ण कार्य पाया गया उस समय संवेदक स्वयं उपस्थित थे तथा त्रुटि कार्य सुधार हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को एक पत्र भेजा गया परन्तु उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान नहीं किया था, इस तथ्य की पुष्टि Bihar Public Works Contract Dispute Arbitration Tribunal द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 में होती है। आरोप संख्या–3 के सम्बन्ध में परिलक्षित होता है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा लीगल नोटिस के पश्चात् पीछे की तिथि से पत्र निर्गत किया गया है। इस प्रकार वैधानिक समीक्षा में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने संबंधी मामला पाया गया।

8. मो0 तारिक के दिनांक 30.09.2020 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में उनके विरूद्व संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या–2444 दिनांक 18.12.2020 द्वारा सम्परिवर्तित कर दिया गया।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मो0 तारिक द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से एक वर्ष के लिए दो (02) प्रतिशत पेंशन की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2447 अनु० दिनांक 21.12.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3026 दिनांक 02.02.2021 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

11. अतः उक्त के आलोक में मो0 तनवीर आलम तारिक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी)

के तहत उनके **पेंशन से एक वर्ष के लिए दो (02) प्रतिशत पेंशन की कटौती** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

04.02.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–1–02/2015 279 /पटना, दिनांक :– 4-2-21

**प्रतिलिपि** :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

04.02.21
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–1–02/2015 279 /पटना, दिनांक :– 4-2-21

**प्रतिलिपि**:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन /जिला कोषागार, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.02.21
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–1–02/2015 279 /पटना, दिनांक :– 4-2-21

**प्रतिलिपि**:–प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/विशेष सचिव,(स्थापना), ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, शिवहर/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर/प्रशाखा पदाधिकारी–6/ लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मो0 तनवीर आलम तारिक, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता:–नियर डाकरा हाउस, नौसा रोड, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.02.21
उप सचिव

') Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in